जाता है लेकिन इन द्रव्यों के विनिर्माण की प्रक्रिया को पेटेंट किया जा सकता है।

(ग) से (च) जैव-विविधता संबंधी रियो समझौते से पहले, पौध आनुवंषिक स्रोतों को मानव जाति की सर्वसाधारण विरासत माना जाता था जिसे अनुसंधान के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाता था। किन्तु, जैव विविधता के समझौते में, जिसका कि भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, जनन द्रव्य संबंधी सार्वभौमिक अधिकारों को सुस्पष्ट किया गया है। आनुवंशिकी संसाधनों के बर्हिगमन को विनियमित करने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एक विनियामक ढांचा तैयार कर रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ ए ओ) ने पौधा आनुवंशिक संसाधनों के संबंध में एक आयोग का गठन किया है जो पौध आनुवंशिक संसाधनों के आदान-प्रदान के विनियमन हेतु सदस्य देशों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय वचन-पत्र तैयार कर रहा है।

Items importable under OGL without actual user condition

703. SHRI PARMESWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as per the current Export-Import Policy, there are many items importable under the Open General Licence (OGL) without Actual User (AU) condition;

(b) if so, whether such items can be imported for Stock and sale;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) if the answer to part 'b' above be in the affirmative, whether internal trading or distribution of such OGL imported items is regulated or restricted by any other Law or Policy of Government; if so, which are those items?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) Under Paragraph 22 of the current EXIM Policy, 1992—97, capital goods, raw materials, intermediates, components, consumables, spares, parts, accessories, instruments and other goods may be imported without any restriction except to the extent such imports are regulated by the negative List of Imports or any other provision of this Policy or any other law for the time being in force. In respect of such items which are freely importable, no other condition, including, actual user condition is imposed under the EXIM Policy.

खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्य

704. **श्रीमती सुषमा स्वराज:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 नवम्बर, 1995 के "बिजनिस स्टैण्डर्ड" में "राव डायरेक्टस फूड कारपोरेशन टू इन्टरवीन इन मार्केट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गत माहों में देश के विभिन्न अंचलों में खाद्यान्न के मूल्य खुले बाजार में बढ़ गए थे;

(ग) यदि हां, तो किस-किस अंचल में किस-किस खाद्यान्न के मूल्य क्या-क्या थे;

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन क्षेत्रों में खाद्यान्न की कितनी-कितनी मात्रा किस-किस मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया गया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जुलाई, 1995 और उसके बाद विभिन्न तारीखों को देश में विभिन्न केन्द्रों में गेहूं और चावल के थोक मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है (नीचे देखिए)

(घ) भारतीय खाद्य निगम को 1995-96 के दौरान खुले बाजार में 55 लाख मीटरी टन गेहूं और 15 लाख मीटरी टन चावल बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

नवम्बर, 1995 माह के लिए खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री करने के लिए राज्य/केन्द्र और मूल्यों का ब्यौरा विवरण III और IV पर दिया गया है।

विवरण— I

गेहूं का थोक मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

केन्द्र	26/07	30/08	27/09	25/10	15/11	22/11
दिल्ली	405	420	425	415	430	430
हिसार	361	380	385	380	375	377
करनाल	370	400	400	400	400	400
अमृतसर	360	360	375	400	408	404
लुधियाना	366	360	360	400	415	415
अहमदाबाद	530	565	570	580	590	600
भोपाल	420	430	420	410	430	435
बम्बई	611	611	NR	611	611	611
नागपुर	480	500	NR	575	530	530
जयपुर	370	400	400	600	425	425
हैदराबाद				650	640	670
बंगलौर	620	640	660	660	720	720
मद्रास	652	652	641	702	702	NR

विवरण— II

चावल का थोक मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

केन्द्र	26/07	30/08	27/09	25/10	15/11	22/11
दिल्ली	660	625	600	560	600	640
हिसार	750	800	750	750	750	750
करनाल	700	700	725	715	730	725
अमृतसर	700	700	750	700	750	800
लुधियाना	680	750	750	700	670	680
अहमदाबाद	780	780	780	770	780	730
भोपाल	730	700	690	700	700	700
बम्बई	750	750	NR	800	800	800
नागपुर	730	755	NR	730	750	750
जयपुर	850	850	850	850	850	850
भुवनेश्वर	640	NR	640	680	720	720
अगरतला	825	NR	850	NR	NR	NR
कलकत्ता	NR	670	680	NR	650	680
हैदराबाद	650	650	650	620	650	640

केन्द्र	26/07	30/08	27/09	25/10	15/11	22/11
बंगलौर	660	640	660	690	740	720
त्रिवेन्द्रम	NR	950	980	960	NR	960
मद्रास	722	773	753	742	722	NR

विवरण—III

नवम्बर, 1995 माह के लिए देश के प्रमुख बिक्री केन्द्रों में खुले बाजार में गेहूं का बिक्री मूल्य

क्रम सं०	प्रमुख केंद्र का नाम	(दर रुपए प्रति मीटरी टन)
1.	गुवाहाटी	4450
2.	बम्बई	4600
3.	नागपुर	4560
4.	इंदौर	4350
5.	ग्वालियर	4280
6.	रायपुर	4430
7.	अहमदाबाद	4570
8.	सूरत	4570
9.	कटक	4500
10.	भुवनेश्वर	4500
11.	पटना	4420
12.	रांची	4450
13.	मद्रास	4680
14.	कोयम्बटूर	4700
15.	मदुरै	4710
16.	कोचीन	4740
17.	त्रिवेंद्रम	4740
18.	हैदराबाद	4650
19.	विशाखापट्टनम	4670
20.	बंगलौर	4670
21.	मैसूर	4690
22.	बेलगाम	4690
23.	कलकत्ता	4510
24.	सिल्लिगुड़ी	4520
25.	दिल्ली	4150
26.	चण्डीगढ़	4150
27.	लखनऊ	4300
28.	कानपुर	4300
29.	जयपुर	4300

क्रम सं०	प्रमुख केंद्र का नाम	(दर रुपए प्रति मीटरी टन)
30.	शिमला	4250
31.	जम्मू	4200
32.	श्रीनगर	4200
33.	वाराणसी	4360

विवरण—IV

विभिन्न राज्यों में नवम्बर, 1995 माह के लिए खुले बाजार में चावल का बिक्री मूल्य

(दर रुपए प्रति मीटरी टन)

क्रम सं०	राज्य का नाम	बढ़िया	उत्तम
1.	पंजाब	6750	7050
2.	हरियाणा	6700	7000
3.	उत्तर प्रदेश	6600	6900
4.	राजस्थान	6550	6850
5.	दिल्ली	6700	7000
6.	जम्मू और कश्मीर	6500	6800
7.	बंगाल/बिहार	6450	6750
8.	उड़ीसा	6450	6750
9.	महाराष्ट्र/गुजरात/मध्य प्रदेश/तमिलनाडु/कर्नाटक/केरल	6450	6750
10.	आंध्र प्रदेश	6450	6750

Removal of Grievances of employees of Inter State Board for Anglo-Indian Education

705. SHRI V. GOPALSAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) how many employees are there in the Inter State Board for Anglo-Indian Education, Delhi;

(b) how many workers/employees have approached Government for redressal of their grievances;

(c) if the answer to part (b) above be in the positive, details of each case, date on which the complaint was sent and action taken in each case and also the present status;

(d) whether any dispute in the past has been pending for adjudication, if so, the details of status thereof; and

(e) the steps being taken by Government to set in order the employee-employer relations on the Board?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.